हमारे मप्र में जन्म से लेकर आजीवन पूजी जाती हैं बेटियाँ : डॉ. यादव

■ हटा में 405.58 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन ■ मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हुए शामिल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश वह राज्य है जहाँ बेटियां जन्म से लेकर आजीवन पूजी जाती हैं। नारी सदैव पूजनीय हैं और सरकार बेटियों और महिलाओं के कल्याण के लिए हर कदम उठा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाएं महिलाओं के जीवन में हर कदम पर सहेली बनकर उनके साथ खड़ी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को दमोह जिले के हटा में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन और शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना के कारण प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार हुआ है और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आया है। मुख्यमंत्री ने दमोह जिले के लिए 405.58 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 13 विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया। इनमें हटा-गैसाबाद सिमरिया मार्ग का टू-लेन चौड़ीकरण, मडियादो-बर्धा किशनगढ़ सड़क निर्माण और मडियादो-रजपुरा मार्ग निर्माण कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल ही में सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए एचपीवी वैक्सीन का टीकाकरण शुरू किया गया है। उन्होंने सभी माताओं और बहनों से अपनी 14 वर्ष से अधिक उम्र की बेटियों को टीका लगवाने का आह्वान किया। इस अवसर पर हटा की 8 बेटियों को एचपीवी वैक्सीन का प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने हटा का नाम बदलकर इसे अब 'शिवकाशी' करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हटा श्री श्री 1008 देवश्री गौरीशंकर की नगरी है और इसे शिवकाशी के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने हटा में नया आईटीआई भवन, नगर पालिका भवन, गीता भवन, एमएलबी स्कूल में इंडोर ऑडिटोरियम, पटेरा में नया महाविद्यालय और कृषि, उद्यानिकी एवं पशुपालन संकाय के विस्तार की घोषणा की। हटा विधायक उमादेवी खटीक, मंत्री इंदर सिंह परमार, धर्मेंद्र सिंह लोधी, लखन पटेल, विधायक जयंत मलैया सहित जिला प्रशासन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण और दमोह जिले के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जोर दिया और कहा कि महिलाओं की खुशहाली में ही प्रदेश की खुशहाली है।

'शक्ति संवाद' कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा-

आंगन से आसमान तक महिलाएं दिखा रहीं कमाल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने कहा कि महिलाओं की भूमिका आँगन से लेकर आसमान तक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचारों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आज का भारत महिलाओं की शक्ति, क्षमता और नेतृत्व से नई दिशा प्राप्त कर रहा है।

श्रीमती रहाटकर रवीन्द्र भवन में आयोजित 'शक्ति संवाद' कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, सरकारी नीतियाँ, सामाजिक पहलें और महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य एवं समग्र कल्याण पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग 'आयोग आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत देशभर में जनसुनवाई आयोजित कर महिलाओं को न्याय दिलाने में तेजी ला रहा है। यह पहल भोपाल से शुरू होकर आज सौवीं जनसुनवाई का मुकाम पार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करने के लिए कानूनी सुधार किए गए हैं। हाल के वर्षों में 4 नए श्रम कानून लागू किए गए हैं, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा और समान वेतन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए 'शक्ति वंदन' अधिनियम के तहत लगभग 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। श्रीमती रहाटकर ने तकनीक और नवाचार की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि एआई का सकारात्मक उपयोग महिलाओं के कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। महिलाओं के लिए विशेष एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और साइको-सोशल वेलबीइंग के लिए हुआ एमओयू

कार्यक्रम में आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती निधि निवेदिता ने लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना, वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन जैसी योजनाओं से महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा के प्रयासों की जानकारी दी। महिला सुरक्षा शाखा के स्पेशल डीजी श्री अनिल कुमार ने परिवार में संतुलन बनाए रखने और समय पर शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ सहयोग और 'तेरे मेरे सपने' केंद्र की स्थापना की योजना का भी जिक्र किया गया। इस अवसर पर महिलाओं और बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य व साइको-सोशल वेलबीइंग को सुदृढ़ करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग और स्काई सोशल संस्था के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को

नप्र, भोपाल : आगामी 14 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े लंबित प्रकरणों का समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क कर अपने मामलों का समझौता कर लें। उन्होंने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज बिजली चोरी के लंबित प्रकरणों तथा विशेष न्यायालयों में विचाराधीन मामलों को लोक अदालत में निपटाने का अवसर दिया जा रहा है। विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा इस अवसर पर उपभोक्ताओं को निर्धारित नियमों के तहत विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी।

निर्माणाधीन कार्य समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे हों : तुलसीराम सिलावट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में और पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि जनता को उनका लाभ समय पर मिल सके।

उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से कार्यों का निरीक्षण करें और निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री सिलावट ने बुधवार को मंत्रालय में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा, प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा, मुख्य अभियंता सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में नर्मदा-ताप्ती कछार इंदौर, जल संसाधन विभाग उज्जैन और नमामि क्षिप्रा परियोजना इकाई उज्जैन के अंतर्गत चल रही वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने आगामी सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना, सेवरखेड़ी-सिलारखेड़ी परियोजना तथा क्षिप्रा नदी के दोनों तटों पर घाट निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली और इन्हें समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने उज्जैन और इंदौर कछार क्षेत्र में निर्माणाधीन 14 प्रमुख परियोजनाओं की भी समीक्षा की। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर उज्जैन, देवास, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, झाबुआ, बुरहानपुर और धार जिलों में लगभग 5 लाख 44 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। मंत्री सिलावट ने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और हर 15 दिन में प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपेक्स बैंक में संगोष्ठी आयोजित

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपेक्स बैंक द्वारा 'सहकारिता में महिलाओं की भूमिका' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंक की महिला अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं ओएसडी अपेक्स बैंक श्रीमती अरूणा दुबे ने महिलाओं की भागीदारी को सहकारिता क्षेत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं और सहकारिता के माध्यम से समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। कार्यक्रम में अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक की धर्मपत्नी श्रीमती इंदु गुप्ता तथा उपसचिव सहकारिता की धर्मपत्नी श्रीमती रंजना सिन्हा सहित श्रीमती विभा तिवारी और बैंक की महिला अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। इस अवसर पर सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक, अंताक्षरी और गीत-संगीत की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। इन गतिविधियों में बैंक की महिला कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

हिंदी पत्रकारिता के दो सौ वर्ष पर समारोह 25 को

नप्र, भोपाल : वर्ष 2026 की 30 मई को हिंदी पत्रकारिता के दो सौ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सप्रे संग्रहालय द्वारा देश भर में कार्यक्रम श्रंखला का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगामी 25 मार्च को संग्रहालय में सुबह 10 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगुभाई पटेल होंगे, अध्यक्षता इंदिरा गांधी कला केंद्र नईदिल्ली के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विवि के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी का मुख्य वक्तव्य होगा। संग्रहालय के संस्थापक निदेशक विजयदत्त श्रीधर ने बताया कि समारोह में हिंदी पत्रकारिता की दो सौ वर्ष की यात्रा का पुनरावलोकन होगा। इसके साथ ही 'समग्र भारतीय पत्रकारिता'(तीन भाग) पर चर्चा होगी। इस अवसर पर विकास मिश्र (नागपुर) को 'माधवराव सप्रे सम्मान', अरुण नैथानी(चंडीगढ़) को 'महेश गुप्ता सृजन सम्मान' और ब्रजेश शर्मा (नरसिंहपुर)को 'अशोक मनोरिया आंचलिक ' सम्मान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 25 मार्च को ही गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस है। इस दौरान उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्मरणांजलि अर्पित की जाएगी।

सफलता के लिए समय का प्रभावी प्रबंधन जरूरी : डॉ. कोठारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मैपकास्ट के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने कहा कि विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और समय का प्रभावी प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि किसी भी विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए 'आई कैन' की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है। डॉ. कोठारी मैपकास्ट द्वारा आयोजित एआई आधारित तकनीकी उद्यमिता विकास कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि परिषद कृषि, वेटनरी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और आईटी सहित लगभग 18 क्षेत्रों में तकनीकी परामर्श, प्रशिक्षण, संस्थागत सहयोग और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके साथ ही युवाओं को उद्योगों और संस्थानों से जोड़कर उनके नवाचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

छह सप्ताह तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई टूल्स और उद्यमिता कौशल से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में नवाचार और तकनीकी दक्षता विकसित कर उन्हें स्टार्ट-अप और स्व-रोजगार के लिए प्रेरित करना था। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को इंटरएक्टिव डिजिटल टूल्स, ग्राफिक्स और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी आधुनिक तकनीकों से भी परिचित कराया गया।

कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए प्रशिक्षण को उपयोगी बताया। प्रतिभागी प्रतीक बाघरे ने कहा कि मार्केटिंग, इंडिया फर्स्ट की अवधारणा और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे सत्र बेहद लाभकारी रहे। वहीं राहुल तिवारी और उदित वर्मा ने बताया कि इस प्रशिक्षण से उन्हें नवाचार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली।

निगम ने कल्पना नगर कम्युनिटी हॉल को कब्जे से मुक्त कराया

कम्युनिटी हॉल पर लंबे समय से कब्जा कर मदरसे का संचालन किया जा रहा था

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम द्वारा कल्पना नगर स्थित कम्यूनिटी हॉल को वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जे से मुक्त कराया। उक्त कम्यूनिटी हॉल में कब्जा कर मदरसे का संचालन किया जा रहा था।

मदरसे के संचालन की शिकायत कालोनी वासियों द्वारा किए जाने पर निगम अमले ने उक्त कार्यवाही की। नगर निगम के जोन क्र. 15 के अमले व अतिक्रमण निरोधक दस्ते की संयुक्त कार्यवाही में बुधवार को जोन क्र. 15 के अंतर्गत वार्ड क्र. 64 के कल्पना नगर स्थित कम्यूनिटी हॉल को वर्षों पुराने कब्जे से मुक्त कराने की कार्यवाही की।

कल्पना नगर स्थित कम्यूनिटी हॉल में मदरसे का संचालन किये जाने की शिकायत कालोनी वासियों द्वारा की गई। मामला संज्ञान में आते ही जोन क्र. 15 के जोनल अधिकारी ठाकुर सिंह ने कम्यूनिटी हॉल में मदरसे का संचालन करने वाली सुश्री रूशदा सुल्तान को कम्यूनिटी हॉल खाली करने हेतु नोटिस जारी किया परंतु मदरसा संचालिका द्वारा कम्यूनिटी हॉल से अपना सामान नहीं हटाया गया जिस पर जोन क्र. 15 के अमले व अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए कम्यूनिटी हॉल खाली कराने की कार्यवाही की।

वन्य-जीव तस्कर वारंटी आरोपी मिश्रीलाल गिरफ्तार

सीबीआई-एसटीएसएफ का संयुक्त अभियान

नप्र, भोपाल : स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की शिवपुरी इकाई एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 9 वर्षों से फरार एवं स्थाई वारंटी वन्य-जीव तस्कर आरोपी मिश्रीलाल माहौर पिता ख्याली राम माहौर निवासी गोहद जिला भिण्ड को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर ग्वालियर की परमासीस ईस्ट कॉलोनी के पास से घेराबंदी कर संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। आरोपी को बुधवार 11 मार्च को सीबीआई द्वारा भोपाल न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

स्टेट टाइगर फोर्स मध्यप्रदेश द्वारा चंबल नदी में पाये जाने वाले अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के वन्य-प्राणी टर्टल्स, रेड क्राउन रूफ टर्टल की विदेशों में बड़े पैमाने पर तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 5 मई, 2017 को वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में कुल 16 आरोपियों को देश के 4 राज्यों से गिरफ्तार किया गया था। इसमें 11 विदेशी नागरिकों को आरोपी बनाया गया था। इस प्रकरण को सीबीआई को हस्तांतरित किया गया। सीबीआई द्वारा उक्त प्रकरण में कार्रवाई करते हुए 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस विभाग इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने हेतु कठोर कदम उठाने के लिए तैयार है। जिसमें पुलिस विभाग द्वारा जनसहयोग की अपेक्षा की जा रही है ताकि दोषियों को सजा दिलवाई जा सके।

परिशिष्ट B-संख्यांक 13

जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, भोपाल

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)

एमजेसी एसयूसी/19/2026

प्रांजली सेठी बनाम फिनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

NEXT DATE :15-04-2026

प्रेषिती, सर्वसाधारण पता-सर्वसाधारण **यह कि प्रार्थी** प्रांजली सेठी ने आपके विरूद्ध एमजेसी एसयूसी/19/2026 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। आज तारीख 24-02-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**:-यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

श्रीमती मेघा अग्रवाल, न्यायाधीश
पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड

3911

जाहिर आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 'मध्यप्रदेश खादी कामगार कल्याण कोष एवं पेंशन न्यास, भोपाल' संस्था, को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/बी-113/05-06 आदेश दिनांक 31/07/2007 के माध्यम से पंजीकृत किया गया था, किन्तु उस समय ट्रस्ट पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया गया था। अतः वर्तमान में ट्रस्ट पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, शहर वृत्त जिला भोपाल के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदक के परिपेक्ष में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश (विज्ञप्ति) दिनांक 25/11/2025 को पारित किया कि, यदि किसी व्यक्ति/संस्था को उक्त ट्रस्ट से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति, दावा या सुझाव हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित रूप में रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, शहर वृत्त जिला, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

ट्रस्ट का नाम व पता : मध्यप्रदेश खादी कामगार कल्याण कोष एवं पेंशन न्यास, भोपाल
गांधी भवन परिसर, श्यामला हिल्स, भोपाल

3912

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण,भोपाल

प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1 महाराणा प्रताप नगर भोपाल

प्रॉपर्टी आई. डी. नं. Nrsi ARCTPlot 00656, आवेदन क्रमांक-11224, आवेदन दिनांक-13/02/2026

क्रमांक 1053/राजस्व/भौविप्रा/26 भोपाल दिनांक: 05/03/2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की योजना LN Sharma ऐरो सिटी फेस। में स्थित भूखण्ड क्रमांक 241/13, सेक्टर-एच, श्री रामेन्द्र सिंह चौहान आ. श्री लाल सिंह चौहान के नाम पर आवंटित है। आवंटी का स्वर्गवास दिनांक 11/10/2025 को हो जाने के कारण आवंटी के वारिस पुत्र श्री संजीव सिंह चौहान आ. स्व. श्री रामेन्द्र सिंह चौहान द्वारा आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पंजीकृत वसीयत, फोटो, आधार कार्ड एवं वांछित दस्तावेज/प्रपत्रों को प्रस्तुत कर उक्त संपत्ति क नामांतरण अपने नाम पर नामांतरण चाहा गया है। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्य दस्तावेजो के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

3913

आम सूचना

मूल दस्तावेज गुम होने के संबंध में

सम्पत्ति आवासीय फ्लेट कं. एच/ 20, प्रथम तल, हाउसिंग बोर्ड कालोनी शास्त्री नगर भोपाल तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्यप्रदेश)

मैं अपने पक्षकार स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आर.ए.सी.पी.सी.-1, भोपाल की ओर से सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पक्षकार बैंक प्रस्तावित बंधककर्ता श्री वीरेश सारस्वत पुत्र श्री रामबाबू सारस्वत भोपाल ने अभय आचवल पुत्र श्री दत्तात्रय आचवल निवासी: आई.-508, शिव आंगन सलैया, तहसील कोलार जिला भोपाल मध्यप्रदेश, से उनके स्वामित्व व आधिपत्य के आवासीय आवासीय फ्लेट क्र. एच/20, प्रथम तल, हाउसिंग बोर्ड कालोनी शास्त्री नगर भोपाल तहसील हुजूर जिला भोपाल मध्यप्रदेश जिसकी चतुर्थ सीमाएं पूर्व में फ्लेट क्रमांक एच/22, पश्चिम में एच टाईप ब्लाक, उत्तर में एच टाईप ब्लाक, दक्षिण में रोड, जिसका क्षेत्रफल 50.66 वर्गमीटर है, को अनुबंध कर क्रय किया जा रहा है, जिसको बंधक रखकर ऋण प्रदान करने जा रही है। उक्त संपत्ति का मूल पंजीकृत विक्रय पुस्तक कमॉक ए-1, ग्रन्थ क्रमांक 21184, पृष्ठ क्रमांक 84 से लेकर 89 तक कुल 6 पृष्ठ, सरल क्रमॉक 1019 दिनांक 28/9/2004 उप पंजीयक कार्यालय भोपाल, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में बंधक रही थी लोन पूर्ण उपरांत उसकी असल प्रति प्राप्त नही हुयी है, जो कहीं खो गयी है और उपलब्ध नहीं है। जिसके संबंध में सूचना थाना महाराणा प्रताप नगर में दिनांक 24/2/2026 को दर्ज करायी गयी हैं। यदि उपरोक्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर किसी व्यक्ति, संस्था का कोई ऋण, भार, दान, बंधक (साम्यिक या अन्य), अनुबंध हो अथवा इस अंतरण से किसी के कोई हित प्रभावित हों तो वह अपनी आपत्ति इस सूचना पत्र प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि के अंदर मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में मय दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत करे, उपरोक्त समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व या आपति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी एवं मेरे पक्षकार उक्त ऋण प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होगी।

अजय नागर, एडवोकेट
एफ-6, प्रथम तल, राधाकृष्ण काम्पलेक्स जोन-2, एम.पी. नगर भोपाल,
मो-9303114498, 8319900323

3926

In The Court Of X Civil Judge Class-1, District Court, Bhopal

Presiding Officer : शरद जायसवाल

(आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रमांक MIC SUC0000152/2025

अजय वंशकार.....**आवेदक** VS सर्वसाधारण.....**अनावेदक**

Process ID/2026

पेशी दि.: 24/04/2026

प्रेषिती-(1) सर्वसाधारण पता-सर्वसाधारण (2) आम जनता। आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अजय वंशकार पता ने मृतक स्व. शकुन बाई निवासी ग्राम व पोस्ट फंदा तह. हुजूर, भोपाल की .....राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 24 April 2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में यह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 24 April 2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवका के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत, अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 25 April 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है। **कृपया ध्यान दे :** यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।

शरद जायसवाल, न्यायाधीश
दशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जिला भोपाल

3914

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है में राजू प्रजापति S/O चुन्नी लाल प्रजापति निवासी वार्ड नं. 30, शासकीय विद्यालय के पास बासखेड़ी, बांसखेड़ी गुना मध्यप्रदेश मैं पश्चिम मध्य रेल मण्डल अंतर्गत अशोकनगर में पोइंट मैन के पद पर कार्यरत हूं मेरी सर्विस पुस्तिका में मेरा नाम राजू RAJOO इंग्लिस में स्पेलिंग गलत व नाम अधूरा है। मेरे शासकीय दस्तावेज आधार पेन कार्ड अंकसूची इत्यादि में मेरा पूरा नाम राजू प्रजापति (RAJU PRAJAPATI) S/o श्री चुन्नी लाल प्रजापति (CHUNNILAL PRAJAPATI) अंकित है। विज्ञापन उपरांत मुझे राजू प्रजापति S/o चुन्नी लाल प्रजापति के नाम से ही जाना पहचाना व लिखा पढ़ा जावे।

RAJU PRAJAPATI
S/o CHUNNILAL PRAJAPATI

3918

नाम संशोधन सूचना

मैं मधुसूदन आत्मज श्री मदन मोहन पारीक आयु 78 वर्ष, निवासी मकान नम्बर ई-2/360, प्रथम तल अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.) आधार न. 490215944481 है। यह कि पेन कार्ड, आधार कार्ड में मेरा नाम मधुसूदन आत्मज श्री मदन मोहन पारीक है जो सत्य एवं सही है एवं जन्मतिथि 23/12/1948 है, व्यवसाय सेवात्तिवृत्त। यह कि RELIGARE SECURITIES के एकाउन्ट में मेरा नाम त्रुटिवश मधुसूदन पारीक अंकित है। यह कि मेरा नाम सभी दस्तावेजों में मधुसूदन अंकित है एवं मैं उपरोक्त नाम मधुसूदन के नाम से जाना व पहचाना जाता हूँ।

मधुसूदन

3915

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्र.क्र. 5152/अ-16/25-26

इश्तहार

आवेदक श्री शोभा बाम्बी आ./पत्नि स्व. श्री संजय बाम्बी निवासी ग्राम बनजारी द्वारा ग्राम बनजारी स्थित खसरा नंबर 46151, क्षेत्रफल 0450 वर्गफीट का विक्रयपत्र/फौती/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 13/03/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात् आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 27/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अति. तहसीलदार
तहसील कोलार, जिला-भोपाल

3916

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्र.क्र. 5865/अ-16/25-26

इश्तहार

आवेदक श्री शैल विश्वे आ./ पत्नि स्व. श्री धनश्याम विश्वे निवासी ग्राम बनजारी द्वारा ग्राम बनजारी स्थित खसरा नंबर 46151, क्षेत्रफल 440 वर्गफीट का विक्रयपत्र/फौती/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 13/02/2026 के भीतर इस न्याय